संख्या- 17/2015/868 /अडतीस-7-2015-138नरेगा/2012

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 19 मई, 2015**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कनवर्जेन्स के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्र के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या -325/अडतीस-7-2015-138नरेगा/2012 दिनांक: 23-02-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनरेगा योजनान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र के निर्माण के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक: 23-02-2015 के पूर्व से जिन जनपदों में उक्त शासनादेश से इतर संस्थाएं नामित हैं, ऐसे जनपदों में पूर्व से नामित पीआईए(प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी) को बनाये रखा जाय। उक्त के अतिरिक्त मनरेगा अंश के भुगतान के लिए संबंधित विकास खण्ड के कार्यक्रम अधिकारी को नामित किया जाता है।

कृपया तदनुसार शासनादेश दिनांक: 23-02-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

संख्या-17/2015/ 868 (1)/अड्तीस-7-2015 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, लाइन विभाग।
3. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार ।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस), उ0प्र0।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in